

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,


1. अपर निदेशक
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : प्रा0शि0/दो (02)/ 17 / 17/23-31 / 2016-17 दिनांक 03 नवम्बर, 2016

विषय : शैक्षणिक सत्र 2016-17 में स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-773/XXIV-नवसृजित/16-32(01)/2013 दिनांक 19 सितम्बर, 2016 एवं शासनादेश संख्या-827/XXIV-नवसृजित/16-32(01)/2013 दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 में दी गयी अनुमति के क्रम में शिक्षकों के शैक्षणिक सत्र 2016-17 में स्थानान्तरण किये जाने हेतु उल्लिखित शासनादेश एवं समय सारिणी प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- यथोपरि।


3/11/16

(सीमा जौनसारी)

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ0सं0 : प्रा0शि0/दो (02)/17/ 17/23-31 / 2016-17 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 02- निजी सचिव, अपर सचिव, विद्यालयी शिक्षा शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) उत्तराखण्ड शासन।
- 03- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 04- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 05- एम0आई0एस0 प्रभारी विद्यालयी शिक्षा निदेशालय को इस आशय से कि संलग्न समय सारिणी एवं शासनादेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।



(सीमा जौनसारी)

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून


शासनादेश संख्या-773/XXVIV-नवसूजित/2016-32(01)/2013 दिनांक: 19 सितम्बर, 2016 एवं शासनादेश संख्या-827/XXVIV-नवसूजित/16-32(01)/2013 दिनांक: 21 अक्टूबर, 2016 के क्रम में उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली-2013 (यथा संशोधित) के अनुसार शिक्षकों के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु समय सारिणी

क्र० सं०	अनुरोध के आधार पर शिक्षकों के स्थानान्तरण के क्रियान्वयन हेतु गतिविधि	निर्धारित तिथि	क्रियान्वयन हेतु अधिकृत अधिकारी
1	रिक्तियां संसूचित करना: a. जनपद / विकास खण्ड स्तर पर जनपद में स्थित राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्र०अ०/स०अ० की रिक्ति संसूचित करना एवं दिनांक 30 सितम्बर 2016 के अनुसार समस्त विद्यालयों में छात्र संख्या की ऑनलाईन अंकना करना। b. मण्डल व जनपद स्तर पर मण्डल में स्थित राजकीय हाईस्कूल/राजकीय कन्या हाईस्कूल व रा०इ०का०/रा०क०इ०का० में स०अ० एल०टी० तथा प्रवक्ता की विषयवार रिक्ति ऑनलाईन करना	5-8 नवम्बर 2016 तक	1- प्रारम्भिक शिक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा० शि०) 2- माध्यमिक शिक्षा में मण्डलीय अपर निदेशक (मा०शि०)
2	शिक्षकों द्वारा अपनी आई०डी के माध्यम से एजुकेशन पोर्टल www.educationportal.uk.gov.in पर अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु ऑनलाईन आवेदन करना एवं किये गये आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकाल कर हस्ताक्षर कर मय वांछित संलग्नकों सहित माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति में खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं प्रारम्भिक शिक्षा की स्थिति में उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना।	9-16 नवम्बर 2016 तक	ख०शि०अ०/उ०शि०अ०
3	ख०शि०अ० / उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की ऑनलाईन अंकना एवं आवेदन पत्र के साथ वांछित संलग्नकों का सत्यापन करना तत्पश्चात आवेदन पत्रों को सक्षम अधिकारी [मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)] को ऑनलाईन फारवर्ड करना।	9-19 नवम्बर 2016 तक	ख०शि०अ०/उ०शि०अ०
4	अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र शिक्षकों के आवेदन पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी/ उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जमा करना : a. स०अ० एल०टी० व प्रवक्ता के ऑनलाईन आवेदन पत्रों की सूची निकाल कर मय सूची के आवेदन पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना। b. स०अ०/प्र०अ० रा०प्रा०वि० व उ०प्रा०वि० के ऑनलाईन आवेदन पत्रों की सूची निकाल कर मय सूची के आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) कार्यालय में जमा करना।	20-23 नवम्बर, 2016 तक	ख०शि०अ०/उ०शि०अ०

क्र० सं०	अनुरोध के आधार पर शिक्षकों के स्थानान्तरण के कियान्वयन हेतु गतिविधि	निर्धारित तिथि	कियान्वयन हेतु अधिकृत अधिकारी
5	<p>a. मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र स०अ० एल०टी० एवं प्रवक्ता के ऑनलाईन आवेदन पत्र को ऑनलाईन फारवर्ड करना व मय सूची के आवेदन पत्र वांछित संलग्नकों सहित मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कार्यालय में जमा करना</p> <p>b. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा अनुरोध के आधार पर अन्तर जनपदीय व अन्तर मण्डलीय स्थानान्तरण चाहने हेतु पात्र स०अ० प्राथमिक के ऑनलाईन आवेदन पत्र को ऑनलाईन फारवर्ड करना व मय सूची के आवेदन पत्र वांछित संलग्नकों सहित मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) कार्यालय में जमा करना।</p> <p>c. मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) द्वारा अन्तर मण्डलीय स्थानान्तरण हेतु पात्र समस्त स०अ० एल०टी० व प्रवक्ता के ऑनलाईन आवेदन पत्र को ऑनलाईन फारवर्ड करना व मय सूची के आवेदन पत्र वांछित संलग्नकों सहित अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) मुख्यालय देहरादून में जमा करना।</p> <p>d. मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा अन्तर मण्डलीय स्थानान्तरण हेतु पात्र समस्त स०अ० प्राथमिक के ऑनलाईन आवेदन पत्र को ऑनलाईन फारवर्ड करना व मय सूची के आवेदन पत्र वांछित संलग्नकों सहित अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) मुख्यालय देहरादून के कार्यालय में जमा करना।</p>	24-28 नवम्बर, 2016 तक	<p>1- मुख्य शिक्षा अधिकारी</p> <p>2- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा० शि०)</p> <p>3- मण्डलीय अपर निदेशक (मा०शि०)</p> <p>4- मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा० शि०)</p>
6	<p>a. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा पात्र स०अ०/ प्र०अ० रा०प्रा०वि० व रा०उ०प्रा०वि० के जनपदान्तर्गत अनुरोध के स्थानान्तरण की काउंसलिंग करना</p> <p>b. मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) द्वारा पात्र स०अ० एल०टी० एवं प्रवक्ता के मण्डलान्तर्गत अनुरोध के स्थानान्तरण काउंसलिंग करना</p>	28 नवम्बर, 2016 तक	<p>1- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा० शि०)</p> <p>2- मण्डलीय अपर निदेशक (मा०शि०)</p>
7	<p>a. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा पात्र स०अ०/ प्र०अ० रा०प्रा०वि० व रा०उ०प्रा०वि० के जनपदान्तर्गत अनुरोध के स्थानान्तरण आदेश निर्गत करना</p> <p>b. मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) द्वारा पात्र स०अ० एल०टी० एवं प्रवक्ता के मण्डलान्तर्गत अनुरोध के स्थानान्तरण आदेश निर्गत करना</p>	30 नवम्बर, 2016 तक	<p>1-जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा० शि०)</p> <p>2- मण्डलीय अपर निदेशक (मा०शि०)</p>

क० सं०	अनुरोध के आधार पर शिक्षकों के स्थानान्तरण के कियान्वयन हेतु गतिविधि	निर्धारित तिथि	कियान्वयन हेतु अधिकृत अधिकारी
8	<p>a. मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा पात्र स०अ० प्राथमिक विद्यालय के मण्डलान्तर्गत एक जनपद से दूसरे जनपद में अनुरोध के स्थानान्तरण आदेश निर्गत करना</p> <p>b. मुख्यालय के अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) द्वारा स्थानान्तरण हेतु पात्र स०अ० एल०टी० के अन्तर मण्डलीय स्थानान्तरण आदेश निर्गत करना</p> <p>c. मुख्यालय के अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) द्वारा अन्तर मण्डलीय स्थानान्तरण हेतु पात्र प्रवक्ताओं की काउंसलिंग करना एवं तत्पश्चात् आदेश निर्गत करना।</p> <p>d. अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा अन्तर मण्डलीय स्थानान्तरण हेतु पात्र स०अ० राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर मण्डलीय स्थानान्तरण आदेश निर्गत करना</p>	03 दिसम्बर, 2016 तक	<p>1- प्रारम्भिक शिक्षा में मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा० शि०)</p> <p>2- अपर निदेशक (मा०शि०) मुख्यालय, देहरादून</p> <p>3- अपर निदेशक (मा०शि०) मुख्यालय, देहरादून</p> <p>4- अपर निदेशक (प्रा०शि०) मुख्यालय, देहरादून</p>

- नोट:- 1. उच्च संदर्भ से स्थानान्तरण प्राप्त प्रकरण तथा शासन/निदेशालय को स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष अनुरोधकर्ताओं की सूची विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड की वेबसाइट www.uk.gov.in/schooleducation पर प्रदर्शित की जा रही है। ऐसे शिक्षकों के आवेदन/प्रत्यावेदन सक्षम अधिकारी को प्रेषित किये जा रहे हैं। संदर्भित शिक्षकों को अपने संवर्ग/श्रेणी में स्थानान्तरण हेतु आनलाइन आवेदन भी किया जाना अनिवार्य होगा।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों की काउंसलिंग, संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप नवीन स्थानान्तरित जनपद के जिला शिक्षा शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) द्वारा की जायेगी।
3. स०अ० एल०टी० की काउंसलिंग, स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन मण्डल के अपर निदेशक (मा०शि०) द्वारा की जायेगी।



(सीमा जौनसारी)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड